भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 226

गुरूवार, 24 मार्च, 2022/3 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना

226. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संघ राज्य क्षेत्र जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या कोविड-19 काल के दौरान देश में विशेषरूप से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन उद्योग की सहायता करने के लिए अब तक कोई कदम उठाए गए हैं और उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में दिनांक 24.03.2022 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 226 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (ग) : सरकार ने कोविड 19 महामारी के मद्देनजर जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों सहित देश में पर्यटन उद्योग की सहायता के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रु. का संपार्श्विक मुक्त स्वाचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है । ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण स्थगन अवधि होगी ।
ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले संगठनों जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रु. से कम हो के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया ।
iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए इपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लिए 10% कर दिया गया है।
iv. अक्तूबर, 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन ।
v. पांच करोड़ रु. तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगित, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ ।
vi. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया है।
vii. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है ।
viii. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की है । आतिथ्य, यात्रा ओर पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है । ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0

और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या 3 लाख करोड़ रु. की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है । हाल के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने ईसीएलजीएस को मार्च, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत जारी गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है :-

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर्यटन और आतिथ्य योजना के अनुसार 31.01.2022 तक के आंकड़े			
उद्योग की प्रकृति	इसके तहत सहायता	जारी की गई गारंटी की संख्या	योजना के तहत स्वीकृत ऋण के मद में जारी गारंटियों की राशि (करोड़ रु. में)
यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस 3.0	3,092	1,696.42
आतिथ्य	ईसीएलजीएस 3.0	3,853	6,841.91
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस 2.0	220	3,426.40
पर्यटन, होटल एवं रेस्टोरेंट	ईसीएलजीएस 1.0	96,550	3,569.68
कुल		**1,03,715**	**15,534.41**

ix. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को सर्विस एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है ।

x. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की । पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं ।

xi. वित्त मंत्रालय ने कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस) की घोषणा की जिसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया । पर्यटन मंत्रालय की एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पंजीकृत पर्यटक गाइडों (पर्यटन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित) और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पंजीकृत/अनुमोदित यात्रा एवं पर्यटन हितधारकों को प्रदत्त ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है ताकि वे अपनी देनदारियों को चुका सकें और कोविड-19 के कारण प्रभावित अपने

व्यवसायों को दोबारा शुरू कर सकें । इस योजना के तहत प्रत्येक यात्रा एवं पर्यटन हितधारक को अधिकतम 10 लाख रु. और प्रत्येक पंजीकृत पर्यटक गाइडों को 1.00 लाख रु. तक का ऋण दिया जाएगा । इस योजना के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए 250.00 करोड़ रु. की निधि आवंटित की गई है । उक्त योजना की वैधता 31.03.2023 तक अथवा योजना के तहत 250.00 करोड़ रु. की गारंटी जारी होने, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दी गई है । चूंकि यह अखिल भारतीय योजना है अत: यह जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के लिए भी लागू है ।

xii. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं ।

xiii. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके ।

xiv. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है ।

xv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है ।

xvi. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुन: अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xvii. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।

xviii. जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने यह सूचित किया है कि कोविड महामारी के दौरान पर्यटन हितधारकों को कुछ राहत प्रदान करने के मद्देनजर जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने शिकारा मालिकों, पर्यटक गाइडों, पोनी वालों आदि

पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए 17.44 करोड़ रु. की राशि का कोविड-19 राहत सहायता जारी की।

xix. जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने यह सूचित किया है कि कोविड 19 महामारी के कारण व्यवसाय में अवरोध का सामना कर रहे बैंक के कर्जदारों को राहत प्रदान करने के मद्देनजर बैंक ने ''होटलों एवं अतिथिगृहों के लिए जम्मू एवं कश्मीर बैंक व्यवसाय सहायता ऋण योजना'' नामक स्थानीय योजना तैयार की थी जिसमें सरकार में पंजीकृत होटलों/अतिथिगृहों जो निधि आधारित क्रेडिट सीमा का लाभ ले रहे हैं किंतु जीईसीएल के तहत अतिरिक्त वित्तपोषण के पात्र नहीं हैं, को अपने कर्मचारियों को वेतन देने तथा अन्य निर्धारित लागतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

xx. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यटन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार, एफआईसीसीआई (नॉलेज पार्टनर) तथा इंडिया गोल्फ पर्यटन ऐसोसिएशन (आईजीटीए) के सहयोग से कश्मीर की विविध प्रकार की पर्यटन क्षमता के संवर्धन और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में यात्रा, पर्यटन एवं आतिथ्य के क्षेत्र में विभिन्न अवसरों के उपयोग के लिए दिनांक 11 से 13 अप्रैल, 2021 को श्रीनगर, कश्मीर में ''कश्मीर की पर्यटन क्षमता का उपयोग : स्वर्ग में एक और दिन'' नामक एक अनोखे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का आयोजन किया । इसमें स्थानीय टूर ऑपरेटरों, होटल मालिकों, हाउसबोट मालिकों, परिवहन कंपनियों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया । विमर्श सत्रों में लेज़र पर्यटन, विवाह तथा एमआईसीई पर्यटन, गोल्फ पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, निरोगता पर्यटन आदि सहित कश्मीर की यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया । इसे मीडिया द्वारा काफी कवरेज दी गई ।

xxi. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन विभाग, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईटीओएआई) के सहयोग से दिनांक 26 से 28 अगस्त, 2021 को लेह, लद्दाख में ''लद्दाख : नई शुरूआत, नए लक्ष्य'' नामक एक मेगा पर्यटन समारोह का आयोजन किया । इस कार्यक्रम का लक्ष्य लद्दाख की असीम पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करना था और इस कार्यक्रम ने देश के अन्य भागों से आए टूर ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं को लद्दाख के स्थानीय हितधारकों से विचार विमर्श करने के लिए उत्कृष्ट मंच प्रदान किया । पर्यटन मंत्रालय ने एक 'लद्दाख विजन दस्तावेज' भी तैयार किया जिसमें लद्दाख में पर्यटन के विकास से संबंधित अनेक पहलू शामिल थे । पैनालिस्ट तथा विभिन्न एजेंसियों के सरकारी पदाधिकारियों ने उन सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस समारोह में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें ओपीनियन मेकर्स, टूर ऑपरेटर, होटल मालिक, राजनयिक, होमस्टे मालिक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया शामिल थी। इस

तीन दिवसीय आयोजन में बी टु बी बैठक, पैनल विमर्श, प्रदर्शनियां और तकनीकी टूर जैसे कार्यकलाप शामिल थे ताकि विभिन्न सुविधाओं और लद्दाख के विभिन्न पर्यटन उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके । जहां तक पर्यटन का संबंध है इस समारोह के माध्यम से लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक नई शुरूआत होने की आशा है ।

xxii. पूरे भारत में कोविड-19 वैक्सीन की कुल 182 करोड़ (लगभग) खुराक दी गई हैं जिनमें से लगभग 2.19 करोड़ खुराक जम्मू एवं कश्मीर में तथा लगभग 4.52 लाख खुराक लद्दाख में दी गई हैं ।

उपरोक्त कदमों के परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख में घरेलू पर्यटन अपने चरम पर है । वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख का बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण से इसकी पुष्टि हुई है । इसके अनुसार पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि भी दर्ज की जा रही है । दिसम्बर 2021 में लगभग 1.43 लाख पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की जो पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक है । सितम्बर, 2021 से तीर्थयात्रियों सहित लगभग 72.09 लाख पर्यटकों ने जम्मू एवं कश्मीर की यात्रा की जो पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है । शीत ऋतु में श्रीनगर और प्रमुख पर्यटक गंतव्यों विशेष रूप से गुलमर्ग और पहलगाम में होटलों में 100% हाई एंड ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है ।

*****